न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 22/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी नेहा कुमावत
रजिस्टर्ड कार्यालय– 27ए, डवलप्ड इन्डस्ट्रियल एस्टेट, गुईन्डी, चेन्नई–600032
शाखा कार्यालय– 21/22, ऊपरी भूतल, जयपुर इलेक्ट्रेनिक मार्केट बिल्डिंग, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर–302018

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **सत्य सिंह पुत्र फूलाराम**
   पता– वार्ड नं. 5, मोहल्ला जाटान, झालरा, दयाल की नांगल, सीकर, राजस्थान–332711
   अन्य पता– पट्टा नम्बर 01, बुक नम्बर 2, ग्राम झालरा, ग्राम पंचायत–दयाल की नांगल, पंचायत समिति नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान–332711
2. **सुनीता देवी पत्नी सत्य सिंह**
   पता– वार्ड नं. 5, मोहल्ला जाटान, झालरा, दयाल की नांगल, सीकर, राजस्थान–332711
   अन्य पता– पट्टा नम्बर 01, बुक नम्बर 2, ग्राम झालरा, ग्राम पंचायत–दयाल की नांगल, पंचायत समिति नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान–332711

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

आदेश

दिनांकः– 17 मार्च, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मनोज कुमार वर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **सत्य सिंह पुत्र फूलाराम** एवं **सुनीता देवी पत्नी सत्य सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सत्य सिंह** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा नम्बर 01, बुक नम्बर 2, ग्राम झालरा, ग्राम पंचायत–दयाल की नांगल, पंचायत समिति नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 213.88 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में स्वयं का रास्ता, पश्चिम दिशा में हवा सिंह/मन्नाराम का मकान, उत्तर दिशा में शीशराम/रामस्वरूप का मकान एवं दक्षिण दिशा में राजेश/सिंगाराम का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 9,10,000/– रूपये (अक्षरे रूपये नौ लाख दस हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **17.08.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **17.08.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **सत्य सिंह पुत्र फूलाराम** एवं **सुनीता देवी पत्नी**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्य सिंह की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सत्य सिंह** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा नम्बर 01, बुक नम्बर 2, ग्राम झालरा, ग्राम पंचायत–दयाल की नांगल, पंचायत समिति नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 213.88 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में स्वयं का रास्ता, पश्चिम दिशा में हवा सिंह/मन्नाराम का मकान, उत्तर दिशा में शीशराम/रामस्वरूप का मकान एवं दक्षिण दिशा में राजेश/सिंगाराम का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **17 मार्च, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर